कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा,
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी, 2022

क्रमांक/ 148 /349/आईटी/आउशि/2022:: अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षाविभाग, मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ1-42/2017/38-1 दिनांक 17/12/19 का पालन किया जा रहा है। प्रशासकीय विभाग के अनुमोदनोपरांत नीति एफ1-42/2017/38-1 दिनांक 17/12/19 की निम्नलिखित कंडिकाओं में संशोधन उपरांत आगामी चयन प्रक्रिया से प्रभावशील मानी जावेगी।

कंडिका 1.4 संबन्धित पदों पर कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के अनुरूप वांछित है। वांछित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी इस व्यवस्था के अंतर्गत् आवेदन कर सकेंगे।

कंडिका 2.3 रिक्त पदों की संख्या अधिक एवं वर्तमान प्रक्रिया के आवेदकों की संख्या कम होनें के फलस्वरूप नवीन अभ्यर्थियों को भी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। मगर किसी कार्यरत अतिथि विद्वान को नए अभ्यर्थी से बदला नहीं जाएगा।

कंडिका 5.1 अतिथि विद्वानों को प्रति दिवस रूपये 1,500/- का मानदेय दिया जाएगा। इनकी कार्य अवधि सम्पूर्ण वर्ष रहेगी एवं उपस्थिति तथा संतोषप्रद कार्य करने पर प्रतिमाह निम्नानुसार मानदेय दिया जाएगा :

कुल मानदेय = संतोषप्रद कार्य की उपस्थिति के दिवसों की संख्या X1500

कंडिका 6.7 का विलोपन।

कंडिका 6.8 महिला अतिथि विद्वानों को प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 की कंडिका 5 एवं काम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना 31 मार्च, 2017 अनुसार प्रसूति अवकाश अवधि में उस महिला अतिथि विद्वान को उस अवधि में प्रत्येक माह में उपलब्ध कार्य दिवसों के लिए उसी दर से मानदेय भुगतान किया जावेगा, जिस दर से उसे प्रसूति अवकाश में जाने के ठीक पहले मानदेय प्राप्त हो रहा था। प्रसूति अवकाश अवधि में उस महिला अतिथि विद्वान के स्थान पर अन्य अतिथि विद्वान को आमंत्रित नहीं किया जावेगा। प्रसूति अवकाश से वापस आने के पश्चात संबंधित अतिथि विद्वान द्वारा आमंत्रण की शेष अवधि में अपना शेष कार्य पूर्ण करना होगा।

कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(सोनाली पोंक्षे वायंगणकर)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन

निरंतर 2:-

पृ क्रमांक/ 1593548/आईटी/आउशि/2022 भोपाल, दिनांक 25 फरवरी, 2022

प्रतिलिपि:-

1 अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

2 समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश।

3 समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।

4 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, न्यायालयीन प्रकोष्ठ/निर्माण/आईटीशाखा उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल।

(सोनाली पोंक्षे वायंगणकर)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन